

अहमद
हुसैन
पं.

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री वृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

3/2013

4.1.2013

29.9.2025

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. रमेश पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. शान्ति पुत्री श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. विमला पुत्री श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. मु० कम्पूरी बेवा श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
6. मिश्रा पुत्र मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
7. हरकेश पुत्र मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
8. मु० राम्यारी बेवा मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
9. रामदयाल पुत्र श्रीफूल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
10. रामप्रसाद पुत्र श्रीफूल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
11. मुकेश पुत्र श्रीफूल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
12. कमलेश पुत्र दूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
13. रामनिवास पुत्र दूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
14. प्रेम पुत्र फाबूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
15. लक्ष्मण पुत्र हार्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
16. गोपाल पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
- 16/1. राजेश पुत्र गोपाल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
- 16/2. रोहिताश पुत्र गोपाल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
- 16/3. संतोष पत्नि गोपाल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
17. रमेश पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित:— नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी, पैरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम टोकसी के हाल ख०नं० 1306 रकबा 0.22 है० मुताविक जमाबंदी सं० 2067—2070 रामगोपाल, रमेश पि० श्रीया, शान्ति, विमला पुत्रियां श्रीया, कम्पूरी बेवा श्रीया हिस्सा 1/2, मिश्रया, हरकेश पि० मूल्या, मु० रामप्यारी बेवा मूल्या हि० 1/2

अधिकारी
गंगापुर सिटी (उ.प.०)



लैण्ड होल्डर बनाम रामगोपाल वगैरा, प्रा0पत्र 177 आर0टी0एक्ट

(2)

जाति चमार निवासी टोकसी के नाम खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हलका उक्त आराजियात में प्रतिवादियों ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मकानात का निर्माण कर लिया है। ख0नं0 1306 रकबा 0.22 है0 कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा बिना कोई भू-परिवर्तन कराए आवादी का निर्माण किया है जो अवैधानिक है। प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश के अकृषि कार्य में उपयोग किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम टोकसी के ख0नं0 1306 रकबा 0.22 है0 को कब्जा राज लिया जाने एवं मौके से बेदखल किए जाने तथा भूमि को सिवायचक किए जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए एवं अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वाद पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है।

प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना हो जाने के कारण प्रार्थी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रकरण में प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी बहस में कहा कि भूमि ख0नं0 1306 रकबा 0.22 है0 ग्राम टोकसी को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लेने के कारण इस नम्बर की भूमि को सिवायचक किए जाने का वाद पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे एवं भूमि का कब्जा राज्य सरकार को संभलाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 ग्राम टोकसी के अनुसार भूमि ख0नं0 1306 रकबा 0.22 है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के आवादी का निर्माण कर लेने के कारण टीनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत इस भूमि को सिवायचक घोषित किए जाने एवं भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिलाए जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण ने इसका कोई जबाब नहीं दिया है एवं वे बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)



लैण्ड होल्डर बनाम रामगोपाल वगैरा, प्रा०पत्र 177 आर०टी०एक्ट

(3)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर०टी०एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख०नं० 1306 रकबा 0.22 है० ग्राम टोकसी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों में इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय एवं डिक्री की प्रतिलिपि पालना हेतु तहसीलदार गंगपुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बृजेंद्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकदमे इत्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रार्थी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. रमेश पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. शान्ति पुत्री श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. विमला पुत्री श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. मु0 कम्पूरी बेवा श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
6. मिश्रा पुत्र मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
7. हरकेश पुत्र मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
8. मु0 राम्यारी बेवा मूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
9. रामदयाल पुत्र श्रीफूल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
10. रामप्रसाद पुत्र श्रीफूल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
11. मुकेश पुत्र श्रीफूल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
12. कमलेश पुत्र दूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
13. रामनिवास पुत्र दूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
14. प्रेम पुत्र फाबूल्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
15. लक्ष्मण पुत्र हार्या, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
16. गोपाल पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
- 16/1. राजेश पुत्र गोपाल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
- 16/2. रोहिताश पुत्र गोपाल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
- 16/3. संतोष पत्नि गोपाल, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
17. रमेश पुत्र श्रीया, बैरवा निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मुकदमा नं. —3/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0

खण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)



लैण्ड होल्डर बनाम रामगोपाल वगैरा, प्रा0पत्र 177 आर0टी0एक्ट
(2)

1306 रकबा 0.22 है0 ग्राम टोकसी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टियों में इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.9.2025 को जारी किया गया ।



(बृजेंद्र मीना)

उपखण्ड जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दायलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		



(बृजेंद्र मीना)

उपखण्ड जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)